।। कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला–दुर्ग ।।

आदेश

क्रमांक 2776 / एसीएससी–1 / 2020 दुर्ग, दिनांक 19 / 10 / 2020

दुर्ग जिले में वर्तमान में व्यापारिक गतिविधियों के दौरान नोबल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण के रोकथाम के उददेश्य से जनसामान्य के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए छ.ग. मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कंडिका 10 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं डा0 सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, कलेक्टर एवं अनुज्ञापन प्राधिकोरी जिला दुर्ग जिले के समस्त डीजल / पेट्रोल अनुज्ञप्तिधारियों को आदेशित करता हूं कि वे पेट्रोल पंप पर कार्यरत समस्त कर्मचारी मास्क अनिवार्य रूप से लगायेगे तथा किसी भी वाहन चालक / उपभोक्ता को बिना मास्क के पेट्रोल / डीजल की आपूर्ति कदापि न करें। बिना मास्क के पेट्रोल / डीजल की आपूर्ति करते पाये जाने पर छ.ग. मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी
जिला– दुर्ग

पृ. क्रमांक 2776 / एसीएससी–1 / 2020 दुर्ग, दिनांक 19 / 10 / 2020.

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कि वे अपने स्तर से अपने अधिनस्थ थाना प्रभारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पृथक से निर्देशित करें।
3. अति. जिला दंडाधिकारी जिला दुर्ग को सूचनार्थ।
4. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला दुर्ग को सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (सर्व) जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. तहसीलदार /नायब तहसीलदार (सर्व) जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. राज्य स्तरीय समन्वयक आयल कंपनी रायपुर,
8. विकय अधिकारी एच.पी.सी. / आई.ओ.सी / बी.पी.सी. / रिलायंस,
   को सूचनार्थ कि वे उपरोक्तानुसार आदेश का पालन सुनिश्चित करावें।
9. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
10. सहायक खाद्य अधिकारी / खाद्य निरीक्षक (सर्व) जिला दुर्ग
11. अध्यक्ष, पेट्रोल / डीजल पंप ऐसोसियेशन दुर्ग / भिलाई
12. समस्त डीजल / पेट्रोल पंप अनुज्ञप्तिधारी जिला दुर्ग
    (10 –12) को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी
जिला– दुर्ग